खुले में गंदगी फैलाई, 12 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम | सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर शुक्रवार नगर निगम के स्पॉट फाइन दल ने 12 व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया। इनमें अनिल, लखन पाटीदार, सुरभी स्टेशन रोड, अनिल मिश्रा, कृष्णा बैरागी, श्रीराम मेडिकल स्टोर, कपिल डालू मोदी बाजार, श्रीराम फुटवियर सैलाना बस स्टैंड, जगदीश नाहरपुरा चौराहा, सुरेश, कुलदीप व संजू पाटीदार अलकापुरी चौराहा पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि नागरिक गंदगी फैलाने वालों की शिकायत स्पॉट फाइन दल के मनोज टांक (7000848456), पवन झांझोट (7000128812) आकाश शिंदे (9424075393) को दे सकते हैं।

10-7-21

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दुकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

इन्दौर समाचार
10-7-2021

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

प्रजातंत्र 10-7-21

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगाएं एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दुकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

प्रजातंत्र
10-7-2021

रात 10 बजे तक खुलेगी चौपाटी, खाने-पीने के छोटे दुकानदार भी रात तक कर सकेंगे कारोबार

करीब 2500 कारोबारियों को मिली बड़ी राहत

भास्कर संवाददाता | रतलाम

शाम को सड़क किनारे खाने पीने की अस्थायी दुकानें लगाकर कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। वह यह कि वे भी अब रात 10 बजे तक अपना कारोबार कर सकेंगे। छोटे दुकानदारों की परेशानी को देखते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन किया है। इसके मुताबिक जिले में संचालित की जाने वाली स्ट्रीट फूड, चलित खान-पान की दुकानें (ठेला /वाहन) कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रात 10 बजे तक खुली रह सकेंगी। शेष आदेश यथावत रहेगा।

इसके पहले भोजनालय, रेस्टोरेंट तो रात 10 बजे तक खुल रहे थे लेकिन सड़क किनारे पानी पताशे, ज्यूस, फरियाली खिचड़ी, पराठे की दुकानें लगाने वाले छोटे दुकानदारों की दुकानें रात 8 बजे तक ही खुल रही थीं। रात 8 बजे बाद पुलिस दुकानें बंद कराने पहुंच जाती थीं। इससे छोटे दुकानदारों को परेशानी आ रही थी और लॉकडाउन खुलने के बावजूद वे कारोबार नहीं कर पा रहे थे। शहर के 2500 छोटे दुकानदारों को आ रही परेशानी को देखते हुए दैनिक भास्कर ने दो दिन पहले प्रमुखता से मुद्दा उठाया था। इसमें उनकी परेशानी बताई थी। इस पर कलेक्टर ने मामला संज्ञान में लिया और संशोधित आदेश जारी किया। इससे छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है।

8 जुलाई को प्रकाशित खबर।

चलित खान-पान की दुकानें रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगी

रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन किया है। इसके अनुसार जिले में संचालित की जाने वाली स्ट्रीट फूड, चलित खान पान की दुकानें (ठेला /वाहन) कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगी। शेष आदेश यथावत रहेगा।

आज टीकाकरण सत्र का आयोजन नहीं होगा

रतलाम। जिले में 10 जुलाई शनिवार को किसी भी प्रकार का कोविड संबंधित टीकाकरण सत्र का आयोजन नहीं किया जाएगा। उक्त जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर ननावरे ने दी।

आदेश जारी : चलित खान-पान की

बगैर मास्क वाले 116 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन

प्रकाश न्यूज * रतलाम

10-7-21

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत 8 जुलाई को 10 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्पॉट फाईन दल द्वारा खुले में गंदगी करने पर कालु, मांगू, जीत नौलाईपुरा, विकास, रोहित,

जुर्माने में 15,800/- की राशि वसूली

ज्योति नमकीन, रतनलाल चांदनी चौक, नानू कॉलेज रोड, संगीता स्टेशन रोड व जौसर भाई त्रिपोलिया गेट पर 100-100 रुपए का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। इसके अलावा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बगैर मास्क वाले 116 व्यक्तियों पर जुर्माना कर 11,600/- की राशि वसूल कर अनिवार्य रूप से मास्क लगाने की चेतावनी दी गई व शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गंदगी करने पर स्पॉट फाईन दल द्वारा जुर्माना कर 3,200/- की राशि वसूल की गई।

10-7-2021

बगैर मास्क वाले 116 व्यक्तियों पर स्पॉट फाइन, 15 हजार से अधिक की राशि वसूली

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व

वार्ड 8 में पहुंची धोलावड़ की पाइप लाइन, पूर्व पार्षद का रहवासियों ने किया सम्मान

रतलाम | सालों से पीने के पानी की समस्या के चलते वार्ड नंबर 8 के कृष्ण विहार कॉलोनी के रहवासी परेशान थे। भाजपा नेत्री व पूर्व पार्षद सीमा टांक के प्रयासों से नए कनेक्शन मुख्य पानी की लाइन से जोड़ने से पीने का पानी पर्याप्त मिल रहा है। निगमायुक्त सोमनाथ झारिया ने शेष अन्य वार्ड की समस्याओं का जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। पूर्व पार्षद टांक ने निगमायुक्त सोमनाथ झारिया का आभार व्यक्त किया। कॉलोनी के रहवासियों ने सीमा टांक का स्वागत कर सम्मानित किया। गोपाल भट्ट, सीमा यादव, सीमा पांचाल, स्वप्निल पांचाल, सुरेश ठाकुर, नंद भाई आदि मौजूद रहे।

10-7-21

अंतिम समय पर तीसरी बार निरस्त हुई बैठक

रतलाम. नगर निगम के कर्मचारी संगठनों की 9 सूत्रीय मांग को लेकर होने वाली बैठक शुक्रवार को तीसरी बार अंतिम समय पर निरस्त हो गई। इसमें एक सप्ताह में मांग पर निर्णय नहीं होने पर सफाई बंद करने की धमकी दी थी। इसके बाद निगम प्रशासन ने सभी नेताओं के साथ बैठक करके चर्चा करने का निर्णय लिया था। इसके बाद ही बैठक की तारीख उपायुक्त विकास सोलंकी ने तय की थी। पहले बैठक के लिए 2 जुलाई तय की गई थी। इसके बाद 9 जुलाई की तारीख तय

सबसे बड़ी जरूरत की अनदेखी • 5 साल से हो रही कवायद लेकिन जिले में रोगियों को नहीं मिल पा रही सुविधा, मेडिकल कॉलेज में ओपीडी भी शुरू नहीं हुई

सीटी स्कैन मशीन... दो लहर में प्राइवेट सेंटरों के भरोसे रहे, हर मरीज के 2500 रुपए खर्च, अब तक मशीन का कर रहे इंतजार

जिम्मेदारों का दावा : 10 से 15 दिन में शुरू हो जाएगी मशीन, दूसरी लहर में 15 हजार से ज्यादा लोगों को पड़ी जरूरत

भास्कर संवाददाता | रतलाम

10-7-21

कोरोना की दूसरी लहर में 15 हजार से ज्यादा लोगों को सीटी स्कैन की जरूरत पड़ी है। सरकारी इंतजाम नहीं होने से गरीबों को भी निजी सेंटर का रुख करना पड़ा। आज यह संख्या कम हो गई है लेकिन अब भी हमारी सबसे बड़ी जरूरत सीटी स्कैन मशीन ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि तीसरी लहर का खतरा तैयार है। मशीन अब तक नहीं लग सकी है।

कोरोना में लंग्स इंफेक्शन जांचने के लिए सीटी स्कैन मशीन की जरूरत होती है। दूसरी लहर के बाद मशीन के लिए तैयारियां तो की गई हैं लेकिन मशीन अब तक नहीं पहुंची। इधर ये मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि तीसरी लहर की तैयारियां तेजी से चल रही हैं।

पुराने ब्लड बैंक में सीटी स्कैन मशीन लगाने की तैयारी है।

दूसरी लहर के दौरान पड़ोसी शहर मंदसौर में शुरू हो चुकी मशीन, लोगों को मिली राहत - जिला अस्पताल में दुर्घटना सहित अन्य मामलों में हर महीने 800 से 1 हजार मरीजों को सीटी स्कैन की जरूरत होती है। सीटी स्कैन के लिए 2 से 3 हजार रुपए तक लग जाते हैं। इधर, कोरोना काल के पीक के दौरान रोज के 500 से 600 सीटी स्कैन सिर्फ चेस्ट के ही हुए हैं। इधर इसी दौरान हमारे पड़ोसी शहर मंदसौर में सीटी स्कैन मशीन शुरू हो चुकी है जबकि वे भी सालों से सीटी स्कैन के लिए परेशान थे।

सीटी स्कैन की जरूरत कब-कब

- लंग्स इंफेक्शन
- मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों में
- लकवे पर
- बेहोशी, दुर्घटना में
- मस्तिष्क में रक्तजमाव
- मस्तिष्क में गठान
- स्पाइनल कार्ड (रीढ़) संबंधी समस्या होने पर
- फेफड़ों, लिवर आदि के कैंसर पता करने में

पहले जगह की समस्या थी, 2019 में टेंडर भी जारी हो गए

2017 : जिले में सीटी स्कैन मशीन की कवायद 2017 से हो रही है। केरल की एक कंपनी आगे भी आई थी लेकिन जगह नहीं मिलने से प्रोजेक्ट बंद हो गया।

2019 : स्वास्थ्य विभाग ने 2019 में दोबारा शुरुआत की। सीटी स्कैन मशीन के टेंडर जारी किए थे, कंपनी को 6 महीने में मशीन लगाना थी लेकिन मशीन नहीं लगी।

2020 : कोरोना काल में सीटी स्कैन मशीन की कमी खली। स्वास्थ्य विभाग का दोबारा अनुबंध हुआ है। हालांकि दो लहर बीत चुकी है, जल्द मशीन लगने की बात कही जा रही है।

इन 4 बड़े कामों का भी है इंतजार...

1. जिला अस्पताल के साथ ही मेडिकल कॉलेज में भी सीटी स्कैन मशीन लगना है, हालांकि प्रक्रिया सुस्त है।
2. मेडिकल कॉलेज का अस्पताल शुरू होने में भी देरी हो रही है। कॉलेज को तीन साल हो चुके हैं।
3. बाल चिकित्सालय का रिनोवेशन किया जा रहा है। अभी काम चल रहा है।
4. ब्लड कंपोनेंट यूनिट मशीन भी नहीं शुरू हो सकी है। इसके लिए लाइसेंस फीस जमा कर दी है।

सीधी बात

डॉ. आनंद चंदेलकर, सिविल सर्जन

प्रोसेस चल रही

▪ सीटी स्कैन मशीन अब तक क्यों नहीं लग सकी।
- प्रोसेस चल रही है।

▪ मशीन शुरू हो जाएगी।
- मशीन के लिए काम शुरू हो गया है। कर्मचारी आ गए हैं।

▪ क्या काम कर रहे हैं।
- प्रिंटर का काम हो रहा है, इसके बाद मशीन पहुंचेगी।

10-7-21

78 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया

रतलाम। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे, सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कर जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत शुक्रवार को 78 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया गया। डंपर व ट्रैक्टर-ट्राली से 43030, काम्पेक्टर सूखा कचरा 20205, काम्पेक्टर गीला कचरा 12820

दस्तक अभियान के संबंध में जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न

प्रसारण न्यूज • रतलाम

10-7-21

जिले में शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए दस्तक अभियान का आयोजन 19 जुलाई से 18 अगस्त 2021 तक किया जाना है। इस संबंध में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन डीएचओ श्री जी.आर. गौड़, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री रजनीश सिन्हा, जिला मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वर्षा कुरील, न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रमेश मेनन, न्यूट्रीशनल इंटरनेशनल के संभागीय समन्वयक आशीष पुरोहित, डीपीएम डॉक्टर अजहर अली तथा सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री अंकिता पंड्या एवं विकासखंड स्तरीय चिकित्सा अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ संपन्न की गई।

कार्यशाला के दौरान बताया गया कि कोरोना के संक्रमण को तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग संयुक्त रुप से दस्तक अभियान को संचालित करेंगे।1 महीने तक चलने वाले अभियान के दौरान आशा कार्यकर्ता, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 5 वर्ष तक के बच्चों की घर-घर जाकर सेहत की जांच करेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत 3 दिन से अधिक बुखार आने वाले बच्चों की कोविड संबंधी जांच भी की जाएगी। दस्तक अभियान के दौरान मुख्य रूप से बीमार और नवजात बच्चों की पहचान प्रबंधन और रेफरल किया जाएगा।

5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में शैशवावस्था एवं बाल्यकालीन निमोनिया की जांच प्रबंधन किया जाएगा। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान रेफरल एवं प्रबंधन किया जाएगा। 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में गंभीर अनीमिया की त्वरित पहचान स्क्रीनिंग और प्रबंधन किया जाएगा।

5 साल से कम उम्र के बच्चों में बाल्यकालीन दस्त रोग की पहचान एवं नियंत्रण हेतु ओ आर एस एवं जिंक के उपयोग को बढ़ावा देने संबंधी जागरूकता की जाएगी, तथा 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के घरों में ओ आर एस प्रदान किया जाएगा। 9 माह से 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को विटामिन ए का घोल पिलाया जाएगा। बच्चों में दिखाई देने वाली जन्मजात विकृतियां एवं वृद्धि विलंब आदि की पहचान तथा स्क्रीनिंग एवं उपचार किया जाएगा। गृह भेंट के दौरान आंशिक रूप से टीका त बच्चों अथवा टीकाकरण से छूटे हुए बच्च को टीकाकृतकिया जाएगा।

प्रसारण

10-7-21

2

नईदुनिया

इंदौर, शनिवार 10 जुलाई, 2021

न्यूज गैलरी

गंदगी फैलाने पर 12 लोगों से वसूला जुर्माना

रतलाम। खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्पाट फाइन दल द्वारा शुक्रवार को विभिन्न क्षेत्रों में 12 दुकानदार व नागरिकों पर जुर्माना किया गया। अनिल, लखन पाटीदार, सुरभि स्टेशन रोड, अनिल मिश्रा, कृष्णा बैरागी, श्रीराम मेडिकल स्टोर, कपिल डालू मोदी बाजार, श्रीराम फुटवियर सैलाना बस स्टैंड, जगदीश नाहरपुरा चौराहा, सुरेश, कुलदीप व संजू पाटीदार अलकापुरी चौराहा पर 100-100 रुपये का

नेशनल लोक अदालत आज, 9721 प्रकरण रखे जाएंगे

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश उमेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिले में भी किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर जिला न्यायालय तथा तहसील मुख्यालय जावरा, सैलाना व आलोट में सुबह 10.30 बजे नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी। 29 खंडपीठों का गठन किया गया है।

नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित 3180 प्रकरण तथा प्रीलिटिगेशन के 6541 प्रकरण आपसी समझौते के आधार पर निराकरण के लिए रखे जाएंगे। संबंधितों को सूचना-पत्र भी भेज दिए गए हैं। जिला मुख्यालय पर 16, तहसील मुख्यालय जावरा में सात, आलोट में चार व सैलाना में दो खंडपीठों का गठन किया गया है।

चेक बाउंस के सर्वाधिक मामले

न्यायालयों में लंबित चेक बाउंस के सर्वाधिक 955 मामले निराकरण के लिए रखे जाएंगे। इसके अलावा 943 आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा के 188, वैवाहिक के 113, दीवानी 207, भरण पोषण के 73, बिजली संबंधी 691 मामले रखे जाएंगे।

नईदुनिया 10-7-2021

नेशनल लोक अदालत आज

रतलाम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 10 जुलाई शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय जलकर काउंटर के बाहर तथा कोर्ट परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50 हजार से अधिक तथा रूपये 1लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10 हजार से अधिक तथा रूपये 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।

10-7-21

नेषनल लोक अदालत आज

रतलाम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार में छूट देने हेतु 10 जुलाई शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय जलकर काउंटर के बाहर तथा कोर्ट परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय मे किया गया है। सम्पति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50 हजार से अधिक तथा रूपये 1लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10 हजार से अधिक तथा रूपये 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट

10-7-21

आज 9781 लंबित प्रकरणों का होगा निराकरण

रतलाम | शनिवार को सुबह 10.30 बजे से लगने वाली नेशनल लोक अदालत में 9781 लंबित प्रकरणों को निराकरण के लिए रखा जाएगा। इनमें 3180 समझौता योग्य और लगभग 6601 वाद पूर्व प्रकरण हैं। इसके लिए जिला न्यायालय रतलाम के लिए 16, तहसील न्यायालय जावरा के लिए 7, तहसील न्यायालय आलोट के लिए 4, तहसील न्यायालय सैलाना के लिए 2 खंडपीठ बनाई गई है।

10-7-21

नेशनल लोक अदालत आज

रतलाम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 10 जुलाई शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय जलकर काउंटर के बाहर तथा कोर्ट परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 50 हजार से अधिक तथा रुपए 1 लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 10 हजार से अधिक तथा रुपए 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।

10-7-21

नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज

रतलाम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश उमेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में प्रातः 10.30 से किया जावेगा। उक्त लोक अदालत के कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार खंडपीठों का गठन किया गया है।

10-7-21

आज नहीं होगा टीकाकरण

रतलाम। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रभाकर ननावरे ने बताया कि जिले में 10 जुलाई को किसी भी प्रकार का कोविड संबंधित टीकाकरण सत्र का आयोजन नहीं किया जाएगा।

सिटी मैनेजर और सामुदायिक संगठिकाओं का जून का वेतन रोका

रतलाम ● स्वदेश समाचार 10-7-21

प्रदेश के 52 जिलो में पी.एम. स्वनिधि अंतर्गत जिले की रैंकिंग 52 वें स्थान पर साथ ही प्रदेश की 16 नगर निगमों में रतलाम नगर निगम की रैंकींग 16 वें स्थान पर होने से निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने सिटी मैनेजर नितिन तिवारी, कपील मारोठिया, सामुदायिक संगठिका श्रीमती राजश्री गुमास्ते, श्रीमती रेखा राठौर, श्रीमती सीमा सुरोलिया, हेमा सिलावट, सुश्री निर्मला राय का माह जून 2021 का वेतन आगामी आदेश तक रोके जाने के निर्देश दिये।

संचालनालय द्वारा आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिग की बैठक में एनयूएलएम अन्तर्गत-पी.एम. स्वनिधी योजना की समीक्षा की गई समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रदेश के 52 जिलो में पी.एम. स्वनिधी अन्तर्गत रतलाम जिमे की रैंकिंग 52 वें स्थान पर साथ ही प्रदेश की 16 नगर निगमों में रतलाम नगर निगम की रैंकींग 16 वें स्थान पर है उक्त असंतोषजनक प्रगति के कारण आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई साथ ही वीडियो कान्फ्रेसिंग पश्चात ली गई ।

बैठक में कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम कुमार पुरूषोत्तम द्वारा भी नाराजगी व्यक्त करने पर उक्त कर्मचारियों का माह जून का वेतन आगामी आदेश तक रोके जाने व 1 सप्ताह में अपने कार्यक्षेत्र में संतोषजनक प्रगति लाकर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के निर्देश निगम आयुक्त श्री झारिया ने दिये।

2/7/21
10-7-2021

सिटी मैनेजर व सामुदायिक संगठिकाओं का वेतन रोका

रतलाम। प्रदेश के 52 जिलो में पी.एम. स्वनिधी अन्तर्गत रतलाम जिमे की रैंकिंग 52 वें स्थान पर साथ ही प्रदेश की 16 नगर निगमों में रतलाम नगर निगम की रैंकींग 16 वें स्थान पर होने से निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने सिटी मैनेजर नितिन तिवारी, कपील मारोठिया, सामुदायिक संगठिका श्रीमती राजश्री गुमास्ते,, श्रीमती रेखा राठौर, निर्मला राय का - जून 2021 का वेतन आगामी आदेश तक रोके जाने के निर्देश दिए। बैठक में एनयूएलएम अन्तर्गत पी.एन. स्वनिधी योजना की समीक्षा की गई समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रदेश के 52 जिलो में पी.एम. स्वनिधी अन्तर्गत रतलाम जिमे की रैंकिंग 52 वें स्थान पर साथ ही प्रदेश की 16 नगर निगमों में रतलाम नगर निगम की रैंकींग 16 वें स्थान पर है। आयुक्त, नगरीय

सिटी मैनेजर व सामुदायिक संगठिकाओं का माह जून वेतन रोका

प्रसारण न्यूज • रतलाम

10-7-21

प्रदेश के 52 जिलो में पी.एम. स्वनिधी अन्तर्गत रतलाम जिमे की रैंकिंग 52वें स्थान पर साथ ही प्रदेश की 16 नगर निगमों में रतलाम नगर निगम की रैंकिंग 16 वें स्थान पर होने से निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने सिटी मैनेजर नितिन तिवारी, कपील मारोठिया, सामुदायिक संगठिका श्रीमती राजश्री गुमास्ते, श्रीमती रेखा राठौर, श्रीमती सीमा सुरोलिया, हेमा सिलावट, सुश्री निर्मला राय का माह जून 2021 का वेतन आगामी आदेश तक रोके जाने के निर्देश दिये।

संचालनालय द्वारा आयोजित वीडियो कांफ्रेसिंग की बैठक में एन यू एल एम अन्तर्गत पी.एम. स्वनिधि योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रदेश के 52 जिलो में पी.एम. स्वनिधि अन्तर्गत रतलाम जिले की रैंकिंग 52वें स्थान पर साथ ही प्रदेश की 16 नगर निगमों में रतलाम नगर निगम की रैंकिंग 16वें स्थान पर है। उक्त असंतोषजनक प्रगति के कारण आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई साथ ही वीडियो कांफ्रेसिंग पश्चात ली गई। बैठक में कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरुषोत्तम द्वारा भी नाराजगी व्यक्त करने पर उक्त कर्मचारियों का माह जून

भाजपा विधायक, जिला अध्यक्ष सहित अन्य नेता पहुंचे कलेक्टर के पास शिकायत करने

प्रशासन के टीकाकरण पर भाजपा का पलटवार

नायब तहसीलदार और पटवारियों पर कार्रवाई की मांग

पत्रिका करंट इश्यू

गांव में टीकाकरण की धीमी गति से परेशान ग्रामीण शहर में आकर लगवा रहे टीके

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. प्रशासन द्वारा शहर को टीकाकरण में अव्वल बनाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। गांव में टीकाकरण की धीमी गति से परेशान ग्रामीण अब शहर में आकर टीके लगवा रहे हैं जिसके चलते टीकाकरण केंद्रों पर शहर से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों की भीड़ नजर आ रही है। ऐसे में केंद्र पर मौजूद प्रशासनिक अमले पर भाजपाइयों द्वारा मनमानी करने का आरोप लगाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशासनिक अमले द्वारा जनप्रतिनिधियों से अभद्रता की जा रही है जिसकी शिकायत लेकर शुरुवार को भाजपा ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा सहित कई जनप्रतिनिधि कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचे।

टीकाकरण केंद्र पर गुरुवार को कुछ स्थानों पर पटवारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच बहस भी हुई तो एक ही स्थान पर नायब तहसीलदार नवीन गर्ग और भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं की कहासुनी हो गई। जनप्रतिनिधियों की माने तो प्रशासन के नुमाइंदे उनसे अभद्रता कर रहे हैं और टीकाकरण के लिए टोकन बांट रहे हैं जो कि गलत है। भाजपा नेताओं ने कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम को सौंपे ज्ञापन में बताया कि 8 जुलाई को दीनदयाल मंडल के टीकाकरण केंद्र सरस्वती शिशु मंदिर एवं आईएमए हॉल पर सुपरवाइजर पटवारी अनुप्रिया गुप्ता एवं रितिका चौहान द्वारा मनमाने तरीके से वार्ड के रहवासियों को टोकन ना देते हुए दूर-दूर से आए गांव के लोगों को टोकन वितरण किए गए। भाजपाइयों ने मांग की है कि नायब तहसीलदार एवं पटवारी के विरुद्ध तुरंत कार्यवाही की जाए। ऐसा नहीं करने पर भाजपा नगर मंडल एवं नगर के कार्यकर्ताओं के साथ धरना-प्रदर्शन एवं कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की रहेगी।

जेल भेजने की दी धमकी

केंद्रों पर भाजपा कार्यकर्ताओं से हो रही अभद्रता को लेकर कार्यकर्ताओं ने रतलाम विधानसभा सेवा ही संगठन अभियान के जिला प्रभारी जयंत कोठारी एवं पांच मंडल अध्यक्ष को फोन कर कृष्ण कुमार सोनी को सूचना प्राप्त हुई। मौके पर अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ पहुंचे तो पटवारीयों ने उन्हे भी अपमानित कर केंद्र से बाहर जाने को कहा जिस पर शहर एसडीएम को फोन पर सूचना दी गई जिस पर सरस्वती शिशु मंदिर केंद्र पर नायब तहसीलदार नवीन कुमार गर्ग द्वारा भाजपा मंडल अध्यक्ष सोनी एवं वहां उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं पर धारा 353, 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की धमकी दी गई, जिस पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई।

यहां भी हुई मनमानी

भाजपा नेताओं का आरोप था कि ऐसा सिर्फ यहीं नहीं हुआ बल्कि कुशाभाऊ ठाकरे मंडल में स्थित टीकाकरण केंद्र सूरज हॉल पर पटवारी पूजा शर्मा ने यहां भी ऐसी स्थिति उत्पन्न की। केंद्र पर उपस्थित भाजपा नेत्री अनिता कटारिया को अपमानित कर अपशब्द बोले गए, जिस पर केंद्रों पर उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपत्ति ली। पटवारियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को वार्डों के रहवासियों के सामने अपमानित किया एवं वहां से चले जाने को कहा। हमें आपकी सेवाओं की कोई जरूरत नहीं है।

गांव के लोगों को लगवा रहे थे टीका

विवाद होते देख भाजपा मंडल अध्यक्ष अपने विधानसभा प्रभारी और गोविंद काकानी, निर्मल कटारिया एवं वरिष्ठ नेताओं को मौके पर आने को कहा जैसे ही केंद्र पर वरिष्ठ नेता पहुंचे तो उन्हे ने देख नायब तहसीलदार मनमाने तरीके से सिस्टर के समीप कुर्सी लगाकर बैठे एवं गांवों के लोगों को टीका लगवा रहे थे, जिस पर आपत्ति दर्ज कराई तो सभी नेताओं को केस दर्ज कर जेल भेजने की धमकी दी। नायब तहसीलदार ने यहां वार्ड के लोगों को टोकन नहीं है कह कर सब को भगाने का प्रयास किया।

तहसीलदार ने संभाला मोर्चा

वहीं इस मामले को लेकर सेवा ही संगठन अभियान में सहयोग के लिए लगे भाजपा कार्यकर्ताओं को अपमानित होने की सूचना शहर तहसीलदार गोपाल सोनी को दी गई तो वे मौके पर पहुंचे और आक्रोशित नेताओं को देख नायब तहसीलदार गर्ग को वहां से जाने को कहा जिस बात को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम जनता के सामने तहसीलदार सोनी पर आक्रोशित होकर उक्त पटवारीयों एव नायब तहसीलदार पर कार्यवाही करने की बात की गई लेकिन कार्यकर्ताओं की एक न सूनी गई एवं केंद्र समाप्त होने तक उक्त पटवारी ने गांवों के लोगों को ही टीके लगवाए, जो गलत है।

पत्रिका
10.7.21

गलत जानकारी देने पर निगमायुक्त ने दो का वेतन रोका

रतलाम। नगर निगम के पीएमएवाय योजना संबंधी खाते में बीएलसी मद की कोई राशि शेष नही होने संबंधी गलत जानकारी दिये जाने पर निगमायुक्त सोमनाथ झारिया ने लेखाशाखा के लेखापाल विजय बालोद्रा व सहायक राजस्व निरीक्षक बलवंत सिंह राठौर का माह जून 2021 का वेतन आगामी आदेश तक रोके जाने के निर्देश दिये। संचालनालय द्वारा आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग की बैठक में पीएमएवाय अन्तर्गत बीएलसी घटक की समीक्षा की गई समीक्षा के दौरान पाया गया कि रतलाम नगर निगम के खाते में बीएलसी घटक के अन्तर्गत 1.58 करोड़ रुपये की राशि रखी हुई है जिसका हितग्राहियों को भुगतान नहीं किया गया है। पीएमवाय योजना शासन स्तर की प्राथमिका प्राप्त योजना है जिसमें हितग्राहियों को समय-सीमा में भुगतान किया जाना आवश्यक होता है। उक्त असंतोषजनक स्थिति के कारण आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। पीएमएवाय योजना संबंधी खाते में बीएलसी मद की कोई राशि शेष नही होने संबंधी गलत जानकारी निगम आयुक्त श्री झारिया को श्री बालोद्रा व श्री राठौर द्वारा दिये जाने पर संबंधितों का माह जून का वेतन आगामी आदेश तक रोका जाकर 1 सप्ताह में पात्र हितग्राहियों को भुगतान की कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये।

10-7-2021

लेखापाल बालोद्रा व राठौर का माह जून वेतन रोका

प्रतापण न्यूज़ • रतलाम

10-7-21

नगर निगम के पी एम ए वाय योजना संबंधी खाते में बी एल सी मद की कोई राशि शेष नहीं होने संबंधी गलत जानकारी दिए जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने लेखाशाखा के लेखापाल विजय बालोद्रा व सहायक राजस्व निरीक्षक बलवंतसिंह राठौर का माह जून 2021 का वेतन आगामी आदेश तक रोके जाने के निर्देश दिए।

संचालनालय द्वारा आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग की बैठक में पी एम ए वाय अन्तर्गत बी एल सी घटक की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि रतलाम नगर निगम के खाते में बी एल सी घटक के अन्तर्गत 1.58 करोड़ रुपए की राशि रखी हुई है, जिसका हितग्राहियों को भुगतान नहीं किया गया है। पी एम वाय योजना शासन स्तर की प्राथमिका प्राप्त योजना है, जिसमें हितग्राहियों को समय-सीमा में भुगतान किया जाना आवश्यक होता है। उक्त असंतोषजनक स्थिति के कारण आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई।

पी एम ए वाय योजना संबंधी खाते में बी एल सी मद की कोई राशि शेष नहीं होने संबंधी गलत जानकारी निगम आयुक्त श्री झारिया को श्री बालोद्रा व श्री राठौर द्वारा दिए जाने पर संबंधितों का माह जून का वेतन आगामी आदेश तक रोका जाकर 1 सप्ताह में पात्र हितग्राहियों को भुगतान की कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किए गए।

10-7-2021

लॉकडाउन अवधि में अस्थाई पर्चियां दी थी

अस्थाई पात्रता पर्चीधारियों से मांगे स्थायी पर्ची के लिए दस्तावेज

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com 10-7-21

रतलाम. लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों की अस्थाई पात्रता पर्चियां जारी की गई थी, वे लोग अब स्थायी पर्ची के लिए दस्तावेज जमा कराए नहीं तो उन्हें अगले माह से राशन नहीं मिलेगा। यह निर्देश खाद्य विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें बताया कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनएफएसए अंतर्गत निर्धारित पात्रता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण घोषणा पत्र के आधार पर जिन हितग्राहियों को अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की गई है , जिस पर माह जुलाई तक राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि ऐसे हितग्राही स्थायी पात्रता पर्ची जारी करने के लिए पात्रता संबंधी दस्तावेज, प्रमाण पत्र एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार नम्बर वार्ड कार्यालय के प्रभारी, ग्राम पंचायत के सचिव को 26 जुलाई तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं, जिन परिवारों द्वारा समयसीमा में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, उन्हें आगामी माह अगस्त से राशन सामग्री प्राप्त करने की पात्रता समाप्त हो जाएगी। उक्त दस्तावेज उपलब्ध करने के बाद ही उनकी स्थायी पात्रता पर्ची जारी की जाकर माह अगस्त में नियमित राशन उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई, समस्या होने पर जिला खाद्य कार्यालय के दूरभाष या संबंधित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक या कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

पत्रिका 10-7-21

अस्थाई पात्रता पर्चीधारी स्थायी पर्ची हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करें

रतलाम। कोविड-19 की लाकडाउन अवधि में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एनएफएसए अन्तर्गत निर्धारित पात्रता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण घोषणा पत्र के आधार पर जिन हितग्राहियों को अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की गई है, जिस पर माह जुलाई तक राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि ऐसे हितग्राही स्थायी पात्रता पर्ची जारी करने हेतु पात्रता संबंधी दस्तावेज, प्रमाण पत्र एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार नम्बर वार्ड कार्यालय के प्रभारी/ग्राम पंचायत के सचिव को 26 जुलाई तक अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराएं। जिन परिवारों द्वारा समयसीमा में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, उन्हें आगामी माह अगस्त 2021 से राशन सामग्री प्राप्त करने की पात्रता समाप्त हो जाएगी। उक्त दस्तावेज उपलब्ध करने के उपरान्त ही उनकी स्थायी पात्रता पर्ची जारी की जाकर माह अगस्त में नियमित राशन उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई, समस्या होने पर जिला खाद्य कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 07412-270414 अथवा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय में पदस्थ सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से सम्पर्क करें।

मध्य भारत 10-7-21

अस्थाई पात्रता पर्चीधारी स्थायी पर्ची हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करें

रतलाम। कोविड-19 की लाकडाउन अवधि में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एनएफएसए अन्तर्गत निर्धारित पात्रता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण घोषणा पत्र के आधार पर जिन हितग्राहियों को अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की गई है , जिस पर माह जुलाई तक राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि ऐसे हितग्राही स्थायी पात्रता पर्ची जारी करने हेतु पात्रता संबंधी दस्तावेज, प्रमाण पत्र एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार नम्बर वार्ड कार्यालय के प्रभारी/ग्राम पंचायत के सचिव को 26 जुलाई तक अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराए। जिन परिवारों द्वारा समयसीमा में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, उन्हें आगामी माह अगस्त 2021 से राशन सामग्री प्राप्त करने की पात्रता समाप्त हो जाएगी। उक्त दस्तावेज उपलब्ध करने के उपरान्त ही उनकी स्थायी पात्रता पर्ची जारी की जाकर माह अगस्त में नियमित राशन उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई, समस्या होने पर जिला खाद्य कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 07412-270414 अथवा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से सम्पर्क करें।

10-7-21

3760 आवेदनों पर 651 को अस्थायी पात्रता पर्ची जारी

रतलाम। कोरोना लाकडाउन अवधि में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनएफएसए के तहत निर्धारित पात्रता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण घोषणा पत्र के आधार पर 651 अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की गई है, जबकि 3760 आनलाइन आवेदन किए गए। इनमें नगर निगम क्षेत्र शहर से 2277 आवेदन थे, जिसमें 279 अस्थायी पर्ची जारी की गई।

जिन हितग्राहियों को अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की गई है, उनके दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। खाद्य विभाग के मुताबिक अब शासन से अनुमति मिलेगी, तभी अस्थायी पात्रता पर्ची जारी हो सकती है। 1134 आवेदन निरस्त भी हो चुके हैं। अस्थायी पर्ची पर जुलाई माह तक राशन सामग्री दी जा रही है। जिला आपूर्ति अधिकारी एसएच चौधरी ने बताया कि अस्थायी पात्रता पर्ची वाले हितग्राही स्थायी पात्रता पर्ची जारी करने के लिए पात्रता संबंधी दस्तावेज, प्रमाण पत्र एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर वार्ड कार्यालय के प्रभारी, ग्राम पंचायत के सचिव को 26 जुलाई तक अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराएं।

नई दुनिया 10-7-21

चलित खान-पान की दुकानें अब रात्रि 10 बजे तक खुलेगी

रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन किया है। इसके अनुसार जिले में संचालित की जाने वाली स्ट्रीट फूड, चलित खान पान की दुकानें (ठेला/वाहन) कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगी। शेष आदेश यथावत रहेगा।

आज टीकाकरण नहीं होगा

जिले में 10 जुलाई शनिवार को किसी भी प्रकार का कोविड संबंधित टीकाकरण सत्र का आयोजन नहीं किया जाएगा। उक्त जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर ननावरे ने दी।

मध्य भारत 10-7-21

हितग्राही आधार कार्ड व समग्र आईडी के साथ उपस्थित हो

कोर्ट परिसर में आज बनेंगे आयुष्मान कार्ड

रतलाम. आयुष्मान भारत निरामयम योजना अन्तर्गत शहर के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत के तहत कोर्ट परिसर में बनाए जाएंगे। इसके लिए निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया व एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने शुक्रवार शाम को नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त झारिया व एसडीएम गेहलोत ने निर्देश दिए कि आयुष्मान से वंचित पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नेशनल लोक अदालत के तहत कोर्ट परिसर में आयोजित शिविर में अपने-अपने वार्डों के हितग्राहियों को आधार कार्ड व समग्र आईडी के साथ पंहुचाने का कार्य पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ करें।

आयुष्मान कार्ड से वंचित पात्र हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे नेशनल लोक अदालत के तहत कोर्ट परिसर में आयोजित आयुष्मान कार्ड विशेष शिविर में आधार कार्ड व समग्र आईडी के साथ उपस्थित होकर अपना पंजीयन करवाकर आयुष्मान कार्ड बनावें। आयोजित शिविर में मास्क लगाना व सोश्यल डिसटेंसिग का पालन करना अनिवार्य होगा। आयोजित बैठक में उपायुक्त विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त ज्योति सुनारिया, स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, कार्यालय अधीक्षक रामचन्द्र शर्मा, उपयंत्री राजेश पाटीदार, विकास मरकाम, मनीष तिवारी, ब्रजेश कुशवाह, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, अनिता ठाकुर, झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़े, किरण चौहान, विनय चौहान, विराट मेहरा, आंगनवाड़ी सुपरवाईजर व नियुक्त कर्मचारी उपस्थित थे।

पत्रिका 10-7-21

आज कोर्ट परिसर में बनेंगे आयुष्मान कार्ड

रतलाम | आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत 10 जुलाई को कोर्ट परिसर में लगने वाली नेशनल लोक अदालत में आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएंगे। शुक्रवार आयुक्त सोमनाथ झारिया, एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने निगम अमले की बैठक ली। पात्र हितग्राहियों को आधार कार्ड और समग्र आईडी के साथ पहुंचकर पंजीयन कराकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकेंगे।

आज कोर्ट परिसर में बनेंगे आयुष्मान कार्ड

रतलाम । आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजना अंतर्गत शहर के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के निशुल्क आयुष्मान कार्ड 10 जुलाई को आयोजित नेशनल लोक अदालत के तहत कोर्ट परिसर में बनाए जाएंगे। इस संबंध में निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया व एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों की बैठक लेकर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए।

नई दुनिया।

वेतन का इंतजार

4 करोड़ रुपए के इंतजार में रुका 2500 कर्मचारियों का वेतन

पत्रिका इंडेप्थ स्टोरी

10-7-21

निगम का खजाना खाली, शासन के चुंगीकर का इंतजार

रतलाम. शहर विकास की कई योजनाओं पर कैंची चलाने के बाद अब नगर निगम में 2500 कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़ रहे है। 1 तारीख को दिया जाने वाला वेतन 9 जुलाई तक नहीं मिला है। नगर निगम का खजाना खाली होने के चलते पहले ही शहर की कई विकास योजनाओं को लंबित किया जा रहा है। अब वेतन के लिए भी कर्मचारियों को इंतजार की मजबूरी है। इसकी वजह शासन से वेतन के लिए प्रतिमाह मिलने वाले 4 करोड़ रुपए के चुंगीकर की राशि का नहीं आना कारण बताया जा रहा है।

नगर निगम में शासन से चुंगीकर का प्रतिमाह करीब 4 करोड़ रुपए आता है। इस वर्ष यह दूसरी बार है जब चुंगीकर की राशि के आने में देरी हुई है जिससे वेतन अब तक नहीं मिला है। ऐसे में कर्मचारी लेखा विभाग से वेतन की जानकारी लेते नजर आ रहे है। नगर गिनम में 17 विभाग में नियमित, दैनिक वेतन भोगी व विनियमितकरण के मिलाकर 2500 कर्मचारी है।

शहर में एक तरफ जहां धन की कमी में नेहरू स्टेडियम में हो रहे निर्माण को कम किया जा रहा है दूसरी तरफ नगर निगम से पैलेस रोड तक शहर विधायक चेतन्य काश्यप के रुचि के बाद भी सिटी फोरलेन का काम टेंडर होने के बाद भी डेढ़ साल से शुरू नहीं हो पा रहा है। निगम के आला अधिकारी नाम नहीं प्रकाशन के आग्रह के साथ बताते है कि कोरोना के चलते कई प्रकार की निगम को होने वाली आय पर असर पड़ा है। इसके चलते कई योजनाओं में बदलाव या रोका जा रहा है।

चुंगीकर की राशि दो तीन दिन में आ जाएगी। इसके बाद वेतन वितरीत हो जाएगा। शहर की किसी भी योजना को धन की कमी से नहीं रोका जा रहा है। धन की कमी नहीं है। - **सोमनाथ झारिया**, आयुक्त नगर निगम

पत्रिका
10-7-2021

लगातार दूसरे दिन एक भी नया पाजिटिव केस नहीं

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में जुलाई माह में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को एक भी नया पाजिटिव केस सामने नहीं आया। एक मरीज को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 15 है।

जिले में अब तक 17496 पाजिटिव केस सामने आ चुके हैं, वहीं 17170 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है। मौत का कुल आंकड़ा 311 है। जुलाई के नौ दिनों में कुल 14 नए पाजिटिव केस सामने आ चुके हैं, वहीं 41 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है। मौत एक भी नहीं हुई है।

आज टीकाकरण सत्र का आयोजन नहीं

जिले में 10 जुलाई को किसी भी प्रकार का कोविड संबंधित टीकाकरण सत्र का आयोजन नहीं किया जाएगा। जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. प्रभाकर ननावरे ने दी।

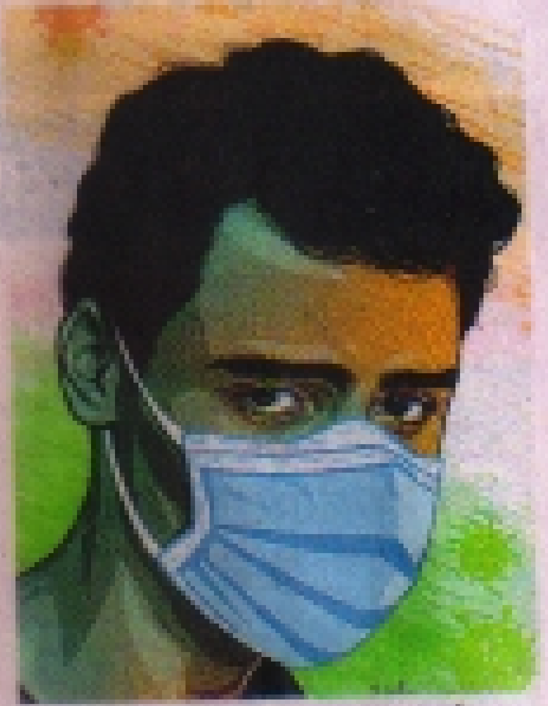

चलित खानपान की दुकानें रात 10 बजे तक खुल सकेंगी

कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन किया है। इसके अनुसार जिले में संचालित की जाने वाली स्ट्रीट फूड, चलित खानपान की दुकानें (ठेला / वाहन) कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए रात 10 बजे तक खुल सकेंगी। शेष आदेश यथावत रहेगा।

जुलाई माह में कोरोना की चाल पर नजर

तारीख	मरीज मिले	स्वस्थ हुए	मौत	एक्टिव मरीज
01 जुलाई	001	018	00	0025
02 जुलाई	001	010	00	0016
03 जुलाई	000	003	00	0013
04 जुलाई	004	000	00	0017
05 जुलाई	004	001	00	0020

आम उपभोक्ताओं के हिसाब से तैयार होंगे ई-नगर पालिका के आवेदन

ई-नगर पालिका के जरिए होंगे नगरीय निकायों में काम, आइटी साखा बनेगी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com 10-7-21

भोपाल. नगरीय निकायों के सारे काम ई-नगर पालिका के जरिए होंगे। इसके लिए निकायों में आइटी शाखा होगी, जो इसे संचालित करेगी। निकायों के मैनुअल काम बंद होंगे। इसके जरिए उपभोक्ताओं को मकान, दुकान, बिल्डिंग परमिशन सब आटोमैटिक मिलेगी, लेकिन उपभोक्ताओं को तय मानदंड को पूरा कर इसमें अपलोड करना होगा।

इस सॉफ्टवेयर के आवेदनों को और सरल बनाने के साथ ही वर्तमान आवेदन में उपभोक्ताओं के हिसाब से सुधार किए जाएंगे।नगरीय निकायों में टैक्स जमा करने के साथ ही सारा काम ऑनलाइन करना होगा। सभी कार्यों के लिए समय-सीमा निर्धारित होगी। इन कामों और आवेदनों की मॉनीटरिंग प्रदेश स्तर की आइटी शाखा करेगी। नगरीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में भी आइटी शाखा होगी, जो रोज के काम-काज, टैक्स के रूप में जमा होने वाली राशि का हिसाब-किताब रखेगी। नए होर्डिंग लगाने, उसके मानदंड तय करने का भी काम ई-नगर पालिका के जरिए होगा।

केंद्रीय मंत्री के साथ वर्चुअल संवाद में केंद्र को बताई खनन में ढेरों मांगें।

मकानों की कुंडली भी होगी अपलोड

ई-नगर पालिका में शहरों में बनाए गए मकानों की कुंडली भी अपलोड की जाएगी। मकानों का सर्वे करने का काम एक निजी एजेंसी को दिया गया है। यह एजेंसी प्रदेश के करीब 36 नगरीय निकायों का सर्वे कर चुकी है। सर्वे में यह देखा जा रहा है कि मकान का आकार, फ्लोर की स्थिति क्या है। उपभोक्ता ने नगर निगम से कितने की अनुमति ली थी, कितने में निर्माण किया है और टैक्स कितना जमा कर रहा है।

पत्रिका

10-7-2021